an>

Title: Need to bring the teachers appointed after 1st April, 2006 under Old Pension Scheme.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षकों की पेंशन संबंधी लोक महत्व के विषय पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने परिवार तथा स्वयं की जरूरतों की पूर्ति के लिए ऐसे समय में जब उसकी आमदनी की स्रोत बंद हो जाते हैं और वह अपना कार्यकाल समाप्त करके रिटायर हो चुका होता है तो उसके लिए पेंशन ही बहुत बड़ा आधार होता है या उस समय में वह जो बचत करता है, वही उसके आगे के जीवनयापन का आधार बनता है। जैसे कि पूर्वतन में रहा है और नियम भी रहे हैं कि देश में शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था है, जो संबंधित कर्मचारियों के वेतन से ही फण्ड काटकर तथा सरकार द्वारा किए गए उपकूमों के द्वारा चलती है। ऐसे शिक्षकों के लिए भी लागू था परंतु उक्त पेंशन व्यवस्था, 2005 में तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गयी और यह आदेश किया गया कि 1 अप्रैल, 2005 के बाद जो भी शिक्षक और कर्मचारी नियुक्त होंगे, उनके लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसके कारण 11 साल से ऐसे शिक्षक और कर्मचारी पेंशन की व्यवस्था से वंचित हैं, जिसके लिए वे निधित रूप से चिंतित हैं। यह सभी जानते हैं कि राज्य सरकार भी इसी के कारण फण्ड को नहीं काट रही हैं, जिसके कारण कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए पेंशन की व्यवस्था नही हो पा रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश में ही ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या 9 लाख है। उनको इससे आर्थिक असुविधा हो रही है और उनको लगता है कि वे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। वे चिंतित हैं और आंदोलनरत हैं और लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं कि पेंशन की वह व्यवस्था पुनः लागू की जाए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि 1 अप्रैल, 2005 के बाद जो शिक्षक और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उनके लिए भी पेंशन व्यवस्था को भारत सरकार पुनः प्रारम्भ करे।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री शरद त्रिपाठी,

श्री सुधीर गुप्ता,

डॉ. मनोज राजोरिया,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।